न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः— रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 297 / 2023

वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 लीलाधर | पि लिखमाराम | जाति नायक निवासी नाथवाना तह संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
2 बनवारी |
3 सुभाष पुत्र गोपीराम
4 कमला पत्नी कृष्ण

वादीगण

बनाम्

1. कालूराम | पि कृष्ण | जाति नायक निवासी नाथवाना तह संगरिया जिला हनुमानगढ
2. मितल कुमार |
3. शीतल कुमार |
4. ममता पुत्री कृष्ण
5. धनोतरी देवी | पुत्रीया गोपीराम
6. महेन्द्र देवी |
7. राजेन्द्र उर्फ इन्द्राज पुत्र फिलमा
8. चम्पा उर्फ सरवती पुत्री फिलमा
   8/1 रवि कुमार पुत्र चम्पा पत्नी मनीराम | जाति नायक निवासी पोहडका तह ऐहलनाबाद जिला सिरसा
   8/2 ज्योति पुत्री चम्पा पत्नी मनीराम |
9. सन्तरो पुत्री फिलमा जाति नायक निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनु0
10. सावित्री | पुत्रीयां शाकोरी (पत्नी जियाराम) | जाति नायक निवासी ओटू तह रानिया जिला सिरसा
11. विमला |
12. लाली |
13. कोयल उर्फ गौरीदेवी | पुत्रीया मुली पत्नी जेठाराम | जाति नायक निवासी रतनपुरा तह संगरिया
14. विधा |
15. लालचन्द | पि मुली पत्नी जेठाराम पुत्र/पुत्रीया तारी
16. कल्लो
17. शारदा
18. कृष्णलाल
19. महावीर
20. सुनिता
21. विजय कुमार
22. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह.**सगरिया**

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू — वकील वादीगण

2— श्री चरणजीत सिंह सिद्धू — वकील प्रति सं. 1 ता 21

निर्णय

दिनांक :— 26/07/2023

वादीगण लीलाधर वगैरा ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् इस्तकरार हक के तहत दिनांक 26/06/2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण का का निवास का पंजीकृत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के व्यापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक मे अंकित है।कि वादीगण एव प्रतिवादी रा 1 ता 21 मृतक चुनीलाल के जायज वारिसान है कि चक 9 एन.टी.डब्लयु खाता स 103/25 खाता इन्द्राज वगैरा व चक 4एम.जे.डी

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी

स 101/28 खाता इन्द्राज वगैरा मे हमारे परिवार की साझा खाता मे अराजी दर्ज है जो
हमे हमारे पुर्वज चुनीराम से विरासतन प्राप्त हुई है कि प्रति स 1 ता 21 ने गोपीराम पुत्र
के हिस्सा की आराजी का परित्याग प्रति स 5 व 6 ने अपने भाई वादी स 3 के पक्ष मे
दिया है व इसी प्रकार लिखमाराम के पुत्र कृष्ण के वारिसान प्रति स 1 ता 4 ने मृतक
लखमाराम से प्राप्त कृष्णलाल के हिस्सा से अपने हिस्सा का परित्याग वादीया स 4 के पक्ष मे
कर दिया है इसी प्रकार प्रति स 7 ता 21 के हिस्सा मे आई शाकोरी ,फितमा व मुली के हिस्सा
केवादीगण खातेदार काश्तकार है जिसमे 2/4 हिस्सा का हक वादी स 1 व 2 का 2/4 हिस्सा
का हक वादी स 3 व 4 का है इसमे प्रति स 1 ता 21 का कोई हक व हिस्सा नही है अत चक
न 9 एन.टी.डब्लयु खाता स 103/25 खाता इन्द्राज वगैरा व चक 4 एम.जे.डी खाता 101/28
मे प्रति स 1 ता 23 व शाकोरी ,फितमा व मुली के नाम दर्ज आराजी के वादी स 1 ता 4 ब.हि.
ब के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी व दावेदार है व इसी कदर की घोषणात्कम
डिक्री वादीगण प्राप्त करना चाहते है। कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया
कि आप दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व
रिकार्ड मे वादीगण से अकंन अलग कायम करवा देवे तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते
रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस
यही वादकारण है। कि मागीलाल पुत्र फिलमा व फुला पुत्र मूली लाओलाद फौत है प्रति स 22
को लैण्ड होल्डर होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया है इनसे कोई अनुतोष नही
चाहा गया है। कि वाद वादीगण बाबत ईस्तकरार हक है जो कि 2रू के न्याय शुल्क पर पेश
है समायत अदालत हाजा है तथा अन्दर मियाद है । लिहाजा वाद वादीगण पेश कर निवेदन है
कि बाद तहकीकात वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे– ए घोषणा इस अमर की
जारी फरमाई जावे कि चक 9 एन.टी.डब्लयु खाता 103/25 खाता इन्द्राज वगैरा की कुल 0.
632है व चक 4 एम.जे.डी खाता स 101/28 खाता इन्द्राज वगैरा की कुल 0.759 है आराजी
के वादीगण ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार है अत उक्त खातो से शकोरी फितमा व मुली पुत्रीया
चुनीराम व प्रति स 1 ता 21 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त खातो की कुल भूमि
उक्तानुसार वादीगण के नाम ब.हि.ब के हिस्सा से दर्ज की जावे उक्त चको के उक्त खातो मे
कृष्ण पुत्र लिखमाराम के नाम दर्ज आराजी वादी स 4 खातेदार काश्तकार है इसमे प्रति स 1
ता 4 का काई हक व हिस्सा नही है व उक्त खातो से गोपीराम के नाम दर्ज आराजी का वादी
स 3 खातेदार काश्तकार है इसमे प्रति स 5 व 6 का काई हक व हिस्सा नही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी रवी व ज्योति ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अ.आ 22 नि 4 व आ 1 नि 10 सी.पी.सी प्रस्तुत किया अधिवक्ता वादीगण ने काई विरोध नही किया स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने जरिये अधिवक्ता सहमती का जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 22 तहसीलदारा राजस्व संगरिया का जवाब दावा प्रस्तुत हूआ जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादी में वादी लीलाधर ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि घोषणा इस अमर की जारी फरमाई जावे कि चक 9 एन.टी.डब्लयु खाता 103/25 खाता इन्द्राज वगैरा की कुल 0.632है व चक 4 एम.जे.डी खाता स 101/28 खाता इन्द्राज वगैरा की कुल 0.759 है आराजी के वादीगण ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार है अत उक्त खातो से शकोरी फितमा व मुली पुत्रीया चुनीराम व प्रति स 1 ता 21 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त खातो की कुल भूमि उक्तानुसार वादीगण के नाम ब.हि.ब के हिस्सा से दर्ज की जावे उक्त चको के उक्त खातो मे कृष्ण पुत्र लिखमाराम के नाम दर्ज आराजी वादी स 4 खातेदार काश्तकार है

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रति स 1 ता 4 का काई हक व हिस्सा नही है व उक्त खातो से गोपीराम के नाम दर्ज जी का वादी स 3 खातेदार काश्तकार है इसमे प्रति स 5 व 6 का काई हक व हिस्सा नही वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने काई विरोध नही या वाद पत्र डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 21 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण 1 ता 21 ने हाजिर आकर सहमति का जवाब दावा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी क़ी घोषणा बाबत सहमति के जवाबदावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 9 एन.टी.डब्लयु खाता 103/25 खाता इन्द्राज वगैरा की कुल 0.632है व चक 4 एम.जे.डी खाता स 101/28 खाता इन्द्राज वगैरा की कुल 0.759 है आराजी के वादीगण ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार है अत उक्त खातो से शकोरी फिलमा व मुली पुत्रीया चुनीराम व प्रति स 1 ता 21 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त खातो की कुल भूमि उक्तानुसार वादीगण के नाम ब.हि.ब के हिसाब से दर्ज किया जाता है उक्त चको के उक्त खातो मे कृष्ण पुत्र लिखमाराम के नाम दर्ज आराजी की वादी स 4 खातेदार काश्तकार है इसमे प्रति स 1 ता 4 का काई हक व हिस्सा नही है व उक्त खातो से गोपीराम के नाम दर्ज आराजी का वादी स 3 खातेदार काश्तकार है इसमे प्रति स 5 व 6 का काई हक व हिस्सा नही है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक...26.......... / ......07....... / 2023..को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/7/23

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

(अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– **रमेश देव आर.ए.एस.**

प्रकरण संखयाः– 297/2023

1. लीलाधर | पि लिखमाराम | जाति नायक निवासी नाथवाना तह संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
2. बनवारी
3. सुभाष पुत्र गोपीराम
4. कमला पत्नी कृष्ण

वादीगण

बनाम्

1. कालूराम | पि कृष्ण | जाति नायक निवासी नाथवाना तह संगरिया जिला हनुमानगढ
2. मितल कुमार
3. शीतल कुमार
4. ममता पुत्री कृष्ण
5. धनोतरी देवी | पुत्रीया गोपीराम
6. महेन्द्र देवी
7. राजेन्द्र उर्फ इन्द्राज पुत्र फिलमा
8. चम्पा उर्फ सरवती पुत्री फिलमा
   8/1 रवि कुमार पुत्र चम्पा पत्नी मनीराम | जाति नायक निवासी पोहडका तह ऐहलनाबाद जिला सिरसा
   8/2 ज्योति पुत्री चम्पा पत्नी मनीराम
9. सन्तरो पुत्री फिलमा जाति नायक निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनु0
10. सावित्री | पुत्रीयां शाकोरी (पत्नी जियाराम) | जाति नायक निवासी ओटू तह रानिया जिला सिरसा
11. विमला
12. लाली
13. कोयल उर्फ गौरीदेवी | पुत्रीया मुली पत्नी जेठाराम | जाति नायक निवासी रतनपुरा तह संगरिया
14. विधा
15. लालचन्द | पि मुली पत्नी जेठाराम पुत्र/पुत्रीया तारी
16. कल्लो
17. शारदा
18. कृष्णलाल
19. महावीर
20. सुनिता
21. विजय कुमार
22. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह.**सगरिया**

–प्रतिवादीगण

दिनाक– 26/02/2023

यह राजस्व मुकदमा आज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्दू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री चरणजीत सिंह सिंद्वू वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 9 एन.टी.डब्लयु खाता 103/25 खाता इन्द्राज वगैरा की कुल 0.632है व चक 4 एम.जे.डी खाता स 101/28 खाता इन्द्राज वगैरा की कुल

महायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है आराजी के वादीगण ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार है अत उक्त खाता से शकोरी
मा व मुली पुत्रीया चुनीराम व प्रति स 1 ता 21 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त
ातो की कुल भूमि उक्तानुसार वादीगण के नाम ब.हि.ब के हिसाब से दर्ज किया जाता है उक्त
कों के उक्त खातो मे कृष्ण पुत्र लिखमाराम के नाम दर्ज आराजी की वादी स 4 खातेदार
काश्तकार है इसमे प्रति स 1 ता 4 का काई हक व हिस्सा नही है व उक्त खाता से गोपीराम
के नाम दर्ज आराजी का वादी स 3 खातेदार काश्तकार है इसमे प्रति स 5 व 6 का काई हक
व हिस्सा नही है।

नोटः– रकबा रहनमुक्त होने के पश्चात् डिक्री का अमल दरामद होगा।

तिजारत X नल X मुब्लिक X निल X बाबत् X निल X खर्चा मुकदमें के मय
शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक X अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26 / 07 / 2023 को जारी किया
गया।

26/7/23

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official